

# बिहार गजट

# अंसाधारण अंक बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

22 भाद्र 1940 (श0) (सं0 पटना 849) पटना, वृहस्पतिवार, 13 सितम्बर 2018

वाणिज्य कर विभाग

# अधिसूचना

#### 13 सितम्बर 2018

एस० ओ० २४०, दिनांक 13 सितम्बर २०१८—बिहार माल और सेवा कर अधिनियम, २०१७ (२०१७ का बिहार अधिनियम १२) की धारा १६४ द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल, बिहार माल और सेवा कर नियमावली २०१७ का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं, यथा:-

- 1. (1) यह नियमावली बिहार माल और सेवा कर नियमावली (दस्तवां संशोधन) नियमावली, 2018 कही जा सकेगी।
  - (2) ये दिनांक 13 सितम्बर, 2018 के प्रभाव से प्रवृत्त होंगे।
- 2. बिहार माल और सेवा कर नियमावली, 2017 के प्ररूपों में, प्ररूप जीएसओआर—9क के पष्चात्, निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

### "प्ररूप जीएसटीआर-9ग नियम 80(3) देखें भाग क—समाधान विवरण

भाग. I		मूलभूत ब्यौरे						
1	वित्तीय वर्ष							
2	जीएसटीआईएन							
3 <b>क</b>	विधिक नाम		< स्व>					
3 <b>ख</b>	व्यापार नाम (यदि कोई हो)		< <b>स्व</b> >					
4	क्या आप किसी अधिनिय	ाम के अधीन किसी संपरीक्षा के दा	यी हैं ?	<<कृपया	विनिर्दिष्ट करें>>			
					में रकम रूपए में)			
	वार्षिक रिटर्न (जीएसटीआर	-9) में घोषित आवर्त सहित वार्षिक	संपरीक्षित वित	तीय विवर	ण में घोषित आवर्त का			
भाग. II		समाधान						
5		सकल आवर्त का सर						
		ंपरीक्षित वित्तीय विवरणों के 3	_					
क		ो स्थायी लेखा संख्यांक के अधी	_	)आईएन				
	- ''	परीक्षित वित्तीय विवरण से प्राप्त						
ख		में बिना तैयार किए गए बिल का र	ज <b>स्</b> व	(+)				
ग		समाप्ति पर असमायोजित अग्रिम		(+)				
घ		के अधीन समझा गया प्रदाय		(+)				
<u>ਝ</u>	वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पश							
च		तेत वार्षिक वित्तीय विवरण में		(+)				
		र सेवा कर के अधीन अनुज्ञेय न	ही है					
छ		17 <b>से जून</b> , 2017 तक आवर्त		(-)				
ज		पर बिना तैयार किए गए बिल वाल	। राजस्व	(-)				
झ		आरम्भ में असमायोजित अग्रिम		(-)				
ञ		रण में लेखा-जोखा दिए गए साख	पत्र, किन्तु जो	(-)				
_	माल और सेव							
ट	" '	र यूनिटों तक माल के प्रदाय के मद्दे	समायाजन	(-)				
ठ	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	म के अधीन अवधि के लिए आवर्त		(-)				
ड	धारा 15 और तद्धीन बनाए गए नियमों के अधीन आवर्त में समायोजन (+/-)							
ढ	विदेशी मुद्रा उतार-							
ण _	उपरोक्त सूचीबद्ध न किए गए कारणों से आवर्त में समायोजन (+/-)							
ਜ ~-	उपरोक्त समायोजनों के पश्चात् वार्षिक आवर्त <स्व>							
थ _	वार्षिक रिटर्न (जीएसटीआर-9) में यथाघोषित आवर्त							
<u>द</u>	असमाधानकृत आवर्त (थ-त) एटी1							
6		र्षेक सकल आवर्त में असमाधानकृ						
<del>क</del> 	कारण 1 <<पाठ>>							
ख	<b>कारण</b> 2 << <b>पाठ</b> >>							

ग	कारण 3			<<पाठ	>>			
7		कराधेय आवर्त का समाधान						
क	समायोजन के पश्चात् वार्षिक आवर्त (उपरोक्त 5त से) <स्व>				<स्व>			
ख	छूट प्राप्त, शून्य दर	, गैर माल अं	ौर सेवा क	र प्रदायों, प्रदा	य नहीं आवर्त का मृ	्ल्य		
ग		कर के संदा	य के बिना	शून्य दर प्रदा	य			
घ	ऐसे प्रदाय, जिन पर क	र का संदाय प	प्रतिलोम प्र जाना है		र प्राप्तिकर्ता द्वारा	ा किया		
ङ	उपरोक्त समायं	 ोजनों के अन्			_ ख _ ग _ घ)		<b>्स्व</b> >	
च	वार्षिक रिटर्न (जीएर							
<u> </u>				य आवर्त (च-इ			एटी 2	
8			<u> </u>		कृत अन्तर के लिए	कारण		
<u>क</u>	कारण 1				<u>८</u> <<पाठ			
ख	कारण 2				<<पाठ	<b>&gt;&gt;</b>		
ग	<b>कारण</b> 3				<<पाठ	>>		
भाग. III			:	संदत्त कर का	ा समाधान			
9		दर-व	गर दायित्व	ा तथा उस पर	संदेय रकम का सर	माधान		
					₹	नंदेय कर		
	वर्णन	कराधेय	пол	केन्द्रीय	राज्य कर/संघ	na£	किन कर	उपकर, यदि
	वणन	कराधय	न्ल्य	कर	राज्यक्षेत्र कर	एक	नेकृत कर	लागू हो
	1	2		3	4		5	6
क	5%							
ख	5% (आरसी)							
ग	12%							
घ	12% (आरसी)							
ङ	18%							
च	18% (आरसी)							
<u>छ</u>	28%							
ज	28% (आरसी)							
झ	3%							
স	0.25%							
ट	0.10%							
ठ	<u>ब्याज</u>							
3	विलम्ब शुल्क							
ढ	शास्ति							
ण	अन्य							
त	उपरोक्त सारणियों के	_	त्त की					
	जाने वाली			<b>्स्व</b> >	<b>्स्व</b> >		<स्व>	<b>्स्व</b> >
थ	वार्षिक रिटर्न (जीएसटी ·		थाघोषित					
	संदत्त कु	ल रकम						

द	रकम का असमाधानकृत संदाय पीर्ट				पीटी	1	
10		रकम के असमाधानकृत संदाय के लिए कारण					
क	कारण 1	<<पाठ>>					
ख	कारण 2		<<पाठ>>				
ग	कारण 3		<<पाठ>>>				
11	अतिरिक्त संदेय रकम, किन्तु	अतिरिक्त संदेय रकम, किन्तु संदत्त नहीं की गई रकम (उपरोक्त सारणी 6, 8 और 10 के अधीन विनिर्दिष्ट कारणों					
11			से)				
				नकदी के माध्य	म से संदत्त	न किया ज	ाए
			केन्द्रीय	राज्य/संघ	एकीकृ	പ കാ	उपकर, यदि
	वर्णन	कराधेय मूल्य	कर	राज्यक्षेत्र कर		(1 4/(	कोई हो
	1	2	3	4	5	5	6
	5%						
	12%						
	18%						
	28%						
	3% 0.25%						
	0.10%						
	<u>ब्याज</u>						
	विलम्ब श्ल्क						
	शास्ति						
	अन्य (कृप्या विनिर्दिष्ट करें)						
भाग. IV		इनपुट कर	प्रत्यय (आईर्ट	ोसी) का समाधान			
12	शुद्द इनपुट कर प्रत्यय (आईटीसी) का समाधान						
क	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र के लिए र	संपरीक्षित वार्षिक '	वित्तीय विवर	णों के अनुसार ला	भ लिया		
	गया इनपुट कर प्रत्यय (एक	गया इनपुट कर प्रत्यय (एक) ही स्थायी लेखा संख्यांक के अधीन बहु जीएसटीआईएन					
	यूनिटों के लिए	इसे लेखाबहियों से	प्राप्त किया उ	नाना चाहिए)			
ख	•••	चालू वित्तीय वर्ष में दावा किए गए पूर्व वित्तीय वर्षों में बुक किए गए इनपुट					
		र प्रत्यय (आईटीर्स	·		(+)		
ग	पश्चातवर्ती वित्तीय वर्ष में त		**	य वर्षों में बुक			
	किए गए इनपुट कर प्रत्यय (आईटीसी)						
घ	संपरीक्षित वित्तीय विवरणों या लेखाबहियों के अनुसार लाभ लिया गया शुद्ध प्रत्यय कर <स्व>						
ङ	वार्षिक रिटर्न (जीएसटीआर-9) में दावाकृत इनपुट कर प्रत्यय						
च	असमाधानकृत इनपुट कर प्रत्यय (आईटीसी) आईटीसी 1						
13		पुट कर प्रत्यय (आ	इंटीसी) में अ				
क	कारण 1	रण 1 <<पाठ>>					
ख	<b>कारण</b> 2	कारण 2 <<पाठ>>					
ग	<b>कारण</b> 3 << <b>पाठ</b> >>						

14	वार्षिक संपरीक्षित वित्तीय विवरणों या लेखा बहियों के अनुसार खर्चों पर लाभ लिए गए आईटीसी सहित वार्षिक रिटर्न (जीएसटीआर-9) में घोषित आईटीसी का समाधान				
11					
	विवरण	Hadi	आईटीसी की कुल	लाभ ली गई पात्र आईटीसी की	
	विवरण	मूल्य	रकम	रकम	
	1	2	3	4	
क	क्रय				
ख	भाड़ा/ढुलाई				
ग	ऊर्जा और ईंधन				
घ	आयातित माल (एसईजेड से प्राप्त समेत)				
<b>ङ</b>	किराया और बीमा				
J	खोई हुई, चोरी हुई, नष्ट हुई, बट्टे खाते मे	<del>i</del>			
च	डाली गई या उपहार या मुफ्त सैंपलों के				
	रूप में दिए गए माल				
छ	स्वामिस्व				
_	कर्मचारियों की लागत (वेतन, मजदूरी,				
ज	बोनस आदि ।)				
झ	प्रवहण प्रभार				
ञ	बैंक प्रभार				
ट	मनोरंजन प्रभार				
ठ	लेखन सामग्री व्यय (डाक आदि सहित	)			
ड	मरम्मत और अनुरक्षण				
ढ	अन्य प्रकीर्ण व्यय				
ण	पूंजी माल				
त	कोई अन्य व्यय 1				
थ	कोई अन्य व्यय 2				
द		गईटीसी की कुल रकर		<< <b>स्व</b> >>	
ध	वार्षिक विवरणी (जीएसटीअ	ार-9) में दावा की गई	आईटीसी		
न		कृत आईटीसी		आटीसी 2	
15	311	ईटीसी में असमाधान	कृत अंतर के कारण		
क	कारण 1 <<पाठ>>				
ख	कारण 2 <<पाठ>>				
ग	<b>कारण</b> 3 << <b>पाठ</b> >>				
16	आईटीसी में असमाधानकृ	त अंतर पर सदेय कर		विनिदिष्ट कारणों से)	
	वर्णन		संदेय रकम		
	केन्द्रीय कर				
	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र कर				
	एकीकृत कर				

उपकर	
ब्याज	
शास्ति	

	शास्ति					
भाग. ∨	गैर-समा	धान के कारण अ	तिरिक्त दानि	येत्व पर संपरीक्षक की सिप	गरिश	
				नकदी के माध्य	न से संदेय	
			केन्द्रीय	राज्य कर/संघ	एकीकृत	उपकर, यदि
	वर्णन	मूल्य	कर	राज्यक्षेत्र कर	कर	लागू हो
	1	2	3	4	5	6
	5%					
	12%					
	18%					
	28%					
	3%					
	0.25%					
	0.10%					
	इनपुट कर प्रत्यय					
	<u>ब्याज</u>					
	विलम्ब शुल्क					
	शास्ति					
	वार्षिक विवरणी					
	(जीएसीटीआर-9) में					
	सम्मिलित नहीं किए गए					
	प्रदायों के लिए संदत्त कोई					
	अन्य रकम					
	वापस संदाय के लिए त्रुटिपूर्ण					
	प्रतिदाय					
	परिनिर्धारित की जाने वाली					
	बकाया मांगे					
	अन्य (कृपया विनिर्दिष्ट करें)					

#### सत्यापन

मैं सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान और घोषणा करता हूं कि इसमें ऊपर दी गई जानकारी मेरे सर्वोतम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य और सही है तथा उसमें कोई बात छिपाई नहीं गई है ।

\*\* (संपरीक्षक के हस्ताक्षर और स्टांप/मद्रा)

*** (41 14141 1. 1. 64411414 OH 4 401 11.2341)
स्थान :
हस्ताक्षरकर्ता का नाम :
सदस्यता सं0 :
तारीख :
प्रा पता :

#### अनुदेश :-

- 1. प्रयोग किए गए निबंधन :
  - (क) जीएसटीआईएन : माल और सेवा कर पहचान संख्या
- 2. जुलाई, 2017 से मार्च, 2018 के बीच की अविध के लिए ब्यौरे वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए इस विवरण में दिए जाएं । समाधान विवरण प्रत्येक जीएसटीआईएन के लिए पृथक् रूप से फाइल किया जाए ।
- 3. इस विवरण में चालू वित्तीय वर्ष के प्रति निर्देश, उस वित्तीय वर्ष से है, जिसके लिए समाधान विवरण फाइल किया जा रहा है।
- 4. भाग-2 इस जीएसटीआईएन के लिए प्ररूप जीएसटीआर-9 के अधीन प्रस्तुत वार्षिक रिटर्न में यथाघोषित आवर्त सहित संपरीक्षित वार्षिक विवरणों में घोषित वार्षिक आवर्त के समाधान से मिलकर बना है। इस भाग को भरने के लिए अन्देश निम्नान्सार है:

	र बजा है। इस जान नेन जरन ने लिए अनुसर जिल्लानुसार है.
सारणी सं0	अनुदेश
5क	वार्षिक संपरीक्षित वित्तीय विवरणों के अनुसार आवर्त यहां घोषित किया जाएगा । ऐसे मामले हो सकते हैं, जहां बहु जीएसटीआईएन (राज्यवार) रजिस्ट्रीकरण एक ही स्थायी लेखा संख्या पर विद्यमान है । यह बहु राज्यों पर विद्यमानता वाले व्यक्तियों/अस्तित्वों के लिए सामान्य है । ऐसे व्यक्तियों/अस्तित्वों को अपना जीएसटीआईएन वार आवर्त आंतरिक रूप से प्राप्त करना होगा और उसे यहां घोषित करना होगा । इसके अंतर्गत निर्यात आवर्त (यदि कोई हो) भी होगा । यह नोट किया जाए कि संपरीक्षित वित्तीय विवरण के प्रति निर्देश के अंतर्गत बहुराज्यों पर विद्यमानता रखने वाले व्यक्तियों/अस्तित्वों के मामले में लेखाबहियों के प्रति निर्देश भी है ।
5ख	ऐसा बिना तैयार किया गया बिल वाला राजस्व, जो पिछले वित्तीय वर्ष में लेखांकन की प्रोद्धवन प्रणाली आधार पर लेखाबहियों में अभिलिखित किया गया था, और चालू वित्तीय वर्ष में अग्रनीत किया गया था, यहां घोषित किया जाएगा । अन्य शब्दों में, जब वस्तु और माल सेवा कर ऐसे राजस्व (जो पहले मान्यताप्राप्त था) पर वित्तीय वर्ष के दौरान संदेय है, तब ऐसे राजस्व का मूल्य यहां घोषित किया जाएगा ।  (उदाहरणार्थ, यदि वित्तीय वर्ष 2016-17 के लिए विद्यमान बिना तैयार किए गए बिल वाला राजस्व दस करोड़ रुपए का है और चालू वित्तीय वर्ष के दौरान, ऐसे राजस्व के चार करोड़ रुपए पर वस्तु और सेवा कर का संदाय गिया गया है तो
5ग	चार करोड़ रुपए का मूल्य यहां घोषित किया जाएगा) ।  ऐसे सभी अग्रिमों का मूल्य, जिनके लिए माल और सेवा कर का संदाय किया गया  है, किंतु उसे संपरीक्षित वार्षिक वित्तीय विवरणों में राजस्व के रूप में मान्यता नहीं दी गई है, यहां घोषित किया जाएगा ।
5घ	बिहार माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की अनुसूची-1 के अधीन समझे गए प्रदायों का मूल्य यहां घोषित किया जाएगा । समझा गया ऐसा कोई प्रदाय, जो

सारणी सं0	अनुदेश
	वार्षिक संपरीक्षित वित्तीय विवरणों में आवर्त का पहले से ही भाग है, उसे यहां
	सम्मिलित किया जाना अपेक्षित नहीं है ।
5ਝ	चालू वित्तीय वर्ष में सम्मिलित किसी प्रदाय के लिए 31 मार्च के पश्चात् जारी
	प्रत्यय नोटों का सकल मूल्य, किंतु ऐसे प्रत्यय नोट वार्षिक विवरणी
	(जीएसटीआर-9) में परिलक्षित हुए थे, यहां घोषित किया जाएगा ।
5च.	व्यापार छूटें, जिसका वार्षिक सम्परीक्षित वित्तीय कथनों में लेखा जोखा दिया गया है किन्तु इन पर माल और सेवा कर उदग्रहणीय था (अनुज्ञेय नही), यहाँ घोषित की जाएगी।
5छ.	अप्रैल, 2017 से जून 2017 तक वार्षिक सम्परीक्षित वित्तीय कथनों में सम्मिलित आवर्त यहाँ घोषित किया जाएगा।
5ज.	चालू वित्तीय वर्ष के दौरान बिल नहीं किया गया राजस्व, जो लेखा के उदभूत तंत्र के आधार पर लेखा बहियों में अभिलिखित किया गया था किन्तु उसी वित्तीय वर्ष में ऐसे राजस्व पर माल और सेवा कर संदेय नहीं था, यहाँ घोषित किया जाएगा।
5झ.	सभी अग्रिमों का मूल्य, जिसके लिए माल और सेवा कर संदत नहीं किया गया है, किन्तु जिसे वार्षिक सम्परीक्षित वित्तीय कथनों में राजस्व के रूप में मान्यता दी गई है, यहाँ घोषित किया जाएगा।
5퍼.	प्रत्यय नोटों का सकल मूल्य, जिसका लेखा जोखा सम्परीक्षित वार्षिक वित्तीय कथनों में दिया गया हैं किन्तु यह बिहार माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 34 के अधीन अनुज्ञेय नहीं था यहाँ घोषित किया जाएगा।
5ਵ.	एसईजेड द्वारा डीटीए यूनिटों को प्रदाय किए गए सभी मालों का सकल मूल्य जिसके लिए डीटीए यूनिटों ने प्रविष्टि बिल फाइल किया है, यहाँ घोषित किया जाएगा।
5ਰ.	ऐसे मामले हो सकते हैं, जिसमें रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति चालू वित्तीय वर्ष के दौरान प्रशमन स्कीम से बाहर होने का विकल्प ले सकते हैं। वार्षिक सम्परीक्षित वित्तीय कथन के अनुसार उनके आवर्त में प्रशमन करदाता के साथ—साथ सामान्य करदाता, दोनों के रूप में आवर्त सम्मिलित होगा। इसलिए, वह आवर्त, जिसके लिए प्रशमन स्कीम के अधीन माल और सेवा संदत किया गया था, यहाँ घोषित किया जाएगा।
5ड.	ऐसे मामले हो सकते हैं, जहाँ बिहार माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 15 के और उसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन मूल्यांकन सिद्धांतों के कारण कराधेय मूल्य और बीजक मूल्य में अंतर हो सकता है। इसिलए, वार्षिक विवरणी (जीएसटीआर 9) तथा वार्षिक सम्परीक्षित वित्तीय कथनों में रिपोर्ट किए गए आवर्तों के बीच अंतर के कारण प्रदायों का मूल्यांकन यहाँ घोषित किया जाएगा।
5ढ.	विदेशी विनियम घटबढ के कारण वार्षिक विवरणी (जीएसटीआर 9) तथा वार्षिक सम्परीक्षित वित्तीय कथनों में रिपोर्ट किए गए आवर्तों के बीच अंतर, यहाँ घोषित किया जाएगा।
5ण.	ऊपर सूचीबद्ध नहीं किए गए कारणों के कारण वार्षिक विवरणी (जीएसटीआर 9) तथा वार्षिक सम्परीक्षित वित्तीय कथनों में रिपोर्ट किए गए आवर्तों के बीच अंतर यहाँ घोषित किया जाएगा।
5थ.	वार्षिक विवरणी (जीएसटीआर 9) में धोषित किया गया वार्षिक आवर्त, यहाँ घोषित किया जाएगा। यह आवर्त वार्षिक विवरणी (जीएसटीआर 9) के क्रम संख्यांक 5ढ, 10 और 11 से व्युत्पन्न हो सकेगा।
6.	वार्षिक सम्परीक्षित वित्तीय कथनों में घोषित वार्षिक आवर्त और वार्षिक विवरणी (जीएसटीआर 9) में घोषित आवर्त के बीच गैर—समाधान के कारणों को यहाँ विनिर्दिष्ट किया जाएगा।
7.	वार्षिक विवरणी (जीएसटीआर 9) में घोषित कराधेय आवर्त के साथ समायोजन के पश्चात् सम्परीक्षित वार्षिक आवर्त से कराधेय आवर्त के समाधान के लिए सारणी उपलब्ध करती है।
7क.	सारणी 5त में यथा व्युत्पन्न वार्षिक विवरणी बिना हस्तक्षेप के यहाँ भरी जाएगी।

सारणी सं0	अनुदेश
7ख.	छूट प्राप्त, शून्य दर, गैर-माल और सेवा कर और प्रदाय बिना आवर्त, यहाँ घोषित किया
	जाएगा। इसमें प्रत्यय नोटों, नामे नोट और संशोधनों, यदि कोई हों, को रिपोर्ट किया
	जाएगा।
7ग.	शून्य दर प्रदाय का मूल्य (एसईजेड को प्रदाय समेत) जिस पर कर संदत्त नहीं किया
	गया है, यहाँ घोषित किया जाएगा। इसमें प्रत्यय नोटों, नामे नोट और संशोधनों, यदि
	कोई हों, को रिपोर्ट किया जाएगा।
7घ.	विपरीत प्रभार प्रदाय का मूल्य, जिस पर प्राप्तिकर्ता द्वारा कर का संदाय किया जाना है,
	यहाँ घोषित किया जाएगा। इसमें प्रत्यय नोटों, नामे नोट और संशोधनों, यदि कोई हों,
	को रिपोर्ट किया जाएगा।
7ड.	कराधेय आवर्त को ऊपर सारणी 7क में घोषित समायोजन के पश्चात् वार्षिक आवर्त और
	सारणी 7ख, सारणी 7ग और सारणी 7घ में ऊपर घोषित सभी प्रदायों के कुल मूल्य (छूट
	प्राप्त, गैर–माल और सेवा कर, विपरित प्रभार आदि) के बीच अंतर के रूप में व्युत्पन्न
	माना जाता है।
7च.	वार्षिक विवरणी (जीएसटीआर 9) की सारणी 4ढ में घोषित किया गया कराधेय आवर्त,
	यहाँ घोषित किया जाएगा।
8.	समायोजित वार्षिक कराधेय आवर्त, जैसा ऊपर सारणी 7ड. से व्युत्पन्न है और सारणी
	7च में घोषित कराधेय आवर्त के बीच गैर—समाधान के कारणों को यहाँ विनिर्दिष्ट किया
	जाएगा।

5. भाग 3 समाधान कथन में घोषणा के अनुसार संदेय कर के समाधान और वार्षिक विवरणी (जीएसटीआर 9) में घोषित वास्तविक संदत्त कर से मिलकर बना है। इस भाग को भरने के लिए अनुदेश निम्नानुसार हैं:—

l kj. kh l a	vuqpsk
9.	सारणी समाधान कथन के अनुसार संदत्त कर के समाधान और वार्षिक विवरणी
	(जीएसटीआर 9) में घोषित संदत्त कर की रकम का उपबंध करती है। "आरसी" के रूप
	में चिन्हित मद के अधीन प्रदाय, जहाँ प्राप्तकर्ता (अर्थात् वह व्यक्ति, जिसके लिए
	समाधान कथन तैयार किया गया है) द्वारा कर का संदाय विपरीत प्रभार के आधार पर
	किया गया था, यहाँ घोषित किया जाएगा।
9त.	सारणी 9क से 9ण में घोषित दायित्व के अनुसार संदत्त की जाने वाली कुल रकम यहाँ
	बिना हस्तक्षेप के भरी जाएगी।
9थ.	वार्षिक विवरणी (जीएसटीआर 9) की सारणी 9 में घोषित संदेय रकम, यहाँ घोषित की
	जाएगी। इसमें वार्षिक विवरणी (जीएसटीआर 9) की सारणी 10 या 11 में संदत्त कोई
	अंतर वाला कर भी अंतर्विष्ट होना चाहिए।
10.	ऊपर सारणी 9त में घोषित संदेय/दायित्व के बीच गैर–समाधान के लिए कारण तथा
	सारणी 9थ में संदेय रकम यहाँ विनिर्दिष्ट की जाएगी।
11.	ऊपर सारणी ६, ८ और १० के अधीन विनिर्दिष्ट कारणों से संदेय कोई रकम, यहाँ घोषित
	की जाएगी।

6. भाग 4 इनपुट कर प्रत्यय (आईटीसी) के समाधान से मिलकर बना है। भाग 4 को भरने के लिए अनुदेश निम्नानुसार हैं :—

1 kj. kh 1 -	vu <b>q</b> ıs'k
12क.	सम्परीक्षित वित्तीय कथनों के अनुसार उपभोग की गई आईटीसी (प्रत्यागम के पश्चात्)
	यहाँ घोषित की जाएगी। ऐसे मामले हो सकते हैं, जहाँ बहु जीएसटीआईएन (राज्यवार)
	रजिस्ट्रीकरण एक ही पीएएन पर विद्यमान हो सकते हैं। यह कई राज्यों में उपस्थिति
	वाले व्यक्तियों/अस्तित्वों के लिए सामान्य हैं। ऐसे व्यक्ति/अस्तित्व को प्रत्येक व्यष्टिक
	जीएसटीआईएन के लिए अपनी आईटीसी आंतरिक रूप से व्युत्पन्न करनी होगी और उसे
	यहाँ घोषित करना होगा। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि सम्परीक्षित वित्तीय कथन के
	प्रतिनिर्देश में कई राज्यों में उपस्थिति रखने वालों व्यक्तियों / अस्तित्वों के मामले में लेखा
	बहियों के प्रतिनिर्देश सम्मिलित है।

1 kj. kh 1 -	vu <b>q</b> s'k
12 ख.	कोई आईटीसी, जिसे पूर्ववर्ती वित्तीय वर्षों के सम्परीक्षित वित्तीय कथनों में लेखबद्ध किया
	गया किन्तु उसका उपभोग उस वित्तीय वर्ष के आईटीसी लेजर में किया गया, जिसके
	लिए समाधान कथन फाइल किया जा रहा है, यहाँ घोषित किया जायेगा। इसमें वह
	संक्रमण प्रत्यय भी सम्मिलित होगा, जिसे पूर्ववर्ती वर्षों में लेखबद्ध किया गया था किन्तु उसका उपभोग वित्तीय वर्ष 2017—18 के दौरान किया गया।
12 ग.	कोई आईटीसी, जिसे चालू वित्तीय वर्ष के वार्षिक सम्परीक्षित वित्तीय कथन में लेखबद्ध
12 1.	किया गया है, किन्तु जिसका प्रत्यय उक्त वित्तीय वर्ष के लिए आईटीसी लेजर में नहीं
	िकिया गया है, यहाँ घोषित किया जायेगा।
12 घ.	वार्षिक सम्परीक्षित वित्तीय कथन या लेखा बहियों के अनुसार उपभोग आईटीसी जो ऊपर
	सारणी 12 क, 12 ख, 12 ग में घोषित मूल्यों से व्युत्पन्न है, यहाँ बिना हस्तक्षेप के भरा
	जायेगा।
12 ड.	वार्षिक विवरणी (जीएसटीआर 9) की सारणी 7अ में घोषित उपयोग के लिए उपलब्ध
	कुल आईटीसी, यहाँ घोषित किया जायेगा।
13.	वार्षिक सम्परीक्षित वित्तीय कथन या लेखा बहियों (सारणी 12घ) और वार्षिक विवरणी
	(जीएसटीआर 9) में उपभोग कुल आईटीसी (सारणी 12ड.) के अनुसार आईटीसी के गैर समाधान के कारण यहाँ विनिर्दिष्ट किये जायेंगे।
14	यह सारणी वार्षिक सम्परीक्षित वित्तीय कथन या लेखा बहियों में लेखबद्ध व्ययों के लिए
14	वार्षिक विवरणी (जीसटीआर 9) में घोषित आईटीसी के सामाधान के लिए है। इस सारणी
	के अधीन विनिर्दिष्ट विभिन्न उपमद वार्षिक सम्परीक्षित वित्तीय कथन या लेखा बहियों में
	साधारण व्यय हैं, जिनपर आईटीसी का उपभोग किया या नहीं किया जा सकेगा और,
	यह मदों की केवल एक प्रतिकारत्मक सूची है, जिसके अधीन व्ययों को साधारणतः
	लेखाबद्ध किया जाता है। करदाता इनमें से किन्ही मदों को जोड़ या हटा सकते है किन्तु
	व्ययों के सभी मद, जिन पर माल और सेवा कर का संदाय किया गया है/संदेय है,
	यहाँ घोषित किया जायेगा।
14 द.	सारणी 14 क से 14 थ तक घोषित कुल आईटीसी जहाँ बिना हस्तक्षेप से भरी जायेगी।
14 ધ.	वार्षिकी विवरण (जीसटीआर 9) में घोषित उपभोग की गई कुल आईटीसी यहाँ घोषित की जायेगी । वार्षिक विवरण (जीसटीआर 9) की सारणी 7ञ को इस सारणी को फाइल
	का जायंगा । वाषिक विवरण (जासटाओर ४) का सारणा ७३ का इस सारणा का फाइल     करने के लिए प्रयोग किया जा सकेगा।
15.	सारणी 12 द में घोषित विभिन्न व्ययों पर उपभोग की गई आईटीसी और सारणी 12 ध
10.	में घोषित आईटीसी के बीच गैर समाधान के कारण यहाँ विनिर्दिष्ट किये जायेंगे।
16	सारणी 13 और सारणी 15 में ऊपर विनिर्दिष्ट कारणों के कारण संदेय कोई रकम यहाँ
	घोषित की जायेगी।

7. भाग 5 आवर्त के गैर—समाधान या इनपुट कर प्रत्यय के गैर—समाधान के कारण करदाता द्वारा निर्मोचित किए जाने वाले अतिरिक्त दायित्व पर सम्परीक्षक की सिफारिश से मिलकर बना है। सम्परीक्षक यह भी सिफारिश करेगा कि क्या प्रदाय के लिए संदत्त की जाने वाली कोई और रकम वार्षिक विवरणी में सिम्मिलत नहीं है। कोई प्रतिदाय, जिसे त्रुटिपूर्ण ढ़ंग से लिया गया है और जिसे सरकार को वापस संदाय किया जायेगा, उसे भी इस सारणी में घोषित किया जायेगा। अंत में कोई अन्य बकाया माँगे, जिनके निपटारे की सिफारिश सम्परीक्षक द्वारा की गई है, इस सारणी में घोषित की जायेगी।

8. समाधान कथन के अंत में करदाताओं को सम्परीक्षक द्वारा सिफारिश किए गए अनुसार अपने करों के संदाय का विकल्प दिया जा सकेगा।

#### Hlvx&[k &iæk bhdj. k 1- mu eheyknen iæk bhdj. kj t gkal ek/kbu dfbu ½z lk t h, l Vhvkj 9 x½ml Q fä }kjk r\$kj fd;k t krk g\$ft l us l Eijh{kd dk l pokyu fd;k g\$6 \* मैंने / हमने—

,	
(ক)	को तुलन-पत्र की ;
(ख)	से आरंभ होने वाले और

(ख) ...... से आरंभ होने वाले और ..... को समाप्त होने वाली अविध के लिए \* लाभ और हानि लेखा और / आय और व्यय लेखा की ;

(ग)	यहां संलग्न से आरंभ होने वाली और को समाप्त होने वाली अवधि के लिए
	नकद प्रवाह कथन, मैसर्स (नाम)(पता)(जीसटीआईएन) की ; परीक्षा कर
	ली है।
2.	हमारी सम्परीक्षा के आधार पर मैं /हम यह रिपोर्ट करते हैं कि उक्त रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति—
	*ने एकीकृत माल और सेवा कर/केन्द्रीय माल और सेवा कर/बिहार माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 और उसके अधीन बनाए गए नियमों/जारी की गई अधिसूचनाओं द्वारा यथा
	अपेक्षित लेखा बहियों, अभिलेखों और दस्तावेजों को रखा है।
	*ने एकीकृत माल और सेवा कर/केन्द्रीय माल और सेवा कर/बिहार माल और सेवा कर
	अधिनियम, 2017 और उसके अधीन बनाए गए नियमों / जारी की गई अधिसूचनाओं द्वारा यथा
	अपेक्षित लेखा बहियों, अभिलेखों और दस्तावेजों को नहीं रखा है।
	1. 2.
	2. 3.
3. (ক)	* मैं / हम निम्नलिखित प्रेक्षणों / टिप्पणियों / किमयों / असंगतताओं यदि कोई हों, को रिपोर्ट
( )	करते हैं:
(-)	* * (
3. (ख)	* मैं / हम यह और रिपोर्ट करते हैं कि, —
	(अ) * मैंने / हमने सभी जानकारी और स्पष्टीकरण प्राप्त कर लिए हैं जो मेरे / हमारे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सम्परीक्षा / जानकारी और स्पष्टीकरणों के लिए आवश्यक थे;
	जो मेरे / हमारे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास से सम्परीक्षा के प्रयोजन के लिए आवश्यक थे,
	हमें प्रदान नहीं किए गए/आंशिक रूप से प्रदान किए गए।
	(आ) मेरी / हमारी राय में जहाँ तक बहियों के मेरी / हमारी परीक्षा से प्रकट होता है, रजिस्ट्रीकृत
	व्यक्ति द्वारा ढंग से लेखा बहियों को रखा गया है/नहीं रखा गया है। (इ) मैं/हम यह प्रमाणित करते हैं कि तुलन–पत्र, लाभ और हानि/आय और व्यय लेखा तथा
	नकद प्रवाह कथन राज्य के भीतर पर कारबार के मुख्य स्थान और
	कारबार के अतिरिक्त स्थान पर रखी गई लेखा बहियों के अनुसार हैं/के अनुसार
	नहीं हैं।
4.	बिहार माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 35(5) के अधीन प्रस्तुत किए जाने के लिए अपेक्षित
	दस्तावेज और बिहार माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 44(2) के अधीन प्रस्तुत किए जाने के लिए अपेक्षित समाधान कथन प्ररूप सं0 जीएसटीआर 9ग के साथ संलग्न है।
5.	*मेरी / हमारी राय में और *मेरी / हमारी सर्वोत्तम जानकारी में और मुझे / हमें दिए गए स्पष्टीकरणों
	के अनुसार निम्नलिखित प्रेक्षणों / अर्हताओं यदि कोई हों, के अध्यधीन उक्त प्ररूप सं० जीएसटीआर
	9ग में दी गई विशिष्टियाँ सत्य और सही है :
	( <b>क</b> )
	(函)(刊)
	** (सम्परीक्षक के हस्ताक्षर और मुहर / सील)
	स्थान : हस्ताक्षरी का नाम
	सदस्यता सं0
	तारीख :
	पूरा पता
	मामलों में प्रमाणीकरण, जहाँ समाधान कथन (प्ररूप जीएसटीआर 9ग) उस व्यक्ति से भिन्न व्यक्ति जाता है, जिसने सम्परीक्षा का संचालन किया है :
	जाता है, जिसने सम्बराद्वा की संवालन किया है . हैं / हम रिपोर्ट करते हैं कि मेसर्स(जीएसटीआईएन के साथ निर्धारिती का नाम और पता)
की लेखा बहियों 3	गैर वित्तीय कथनों की सम्परीक्षा अधिनियम के उपबंधों के अनुसरण में सदस्यता सं०
धारण करने	ा वाले मेसर्स(प्रास्थिति के साथ सम्परीक्षक का पूरा नाम और पता) द्वारा की गई थी,
	नेम्नलिखित की एक प्रति के साथतारीख को उनकी सम्परीक्षा रिपोर्ट की एक प्रति
इसके साथ संलग्न	िकरते हैं।

(ক)	को तुलन–पत्र
(ख)	से आरम्भ होने वाले और को समाप्त होने वाली अवधि के लिए
	*लाभ और हानि लेखा और/आय और व्यय लेखा ;
(ग)	से आरम्भ होने वाली और को समाप्त होने वाली अवधि के लिए
	नकद प्रवाह कथन ; और
(ঘ)	उक्त अधिनियम द्वारा * लाभ और हानि लेखा / आय और व्यय लेखा तथा तुलन-पत्र के भाग के रूप में या उससे संलग्न घोषित किए गए दस्तावेज।
2. मैं / हम य	ाह रिपोर्ट करते हैं कि उक्त रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति—
	त माल और सेवा कर / केंद्रीय माल और सेवा कर / बिहार माल और सेवा कर अधिनियम, 2017
और उसके अधीन बन	नाए गए नियमों / जारी की गई अधिसूचनाओं द्वारा यथा अपेक्षित लेखा बहियों, अभिलेखों और
दस्तावेजों को रखा है	
* ने एकीकृ	त माल और सेवा कर / केंद्रीय माल और सेवा कर / बिहार माल और सेवा कर अधिनियम, 2017
	नाए गए नियमों / जारी की गई अधिसूचनाओं द्वारा यथा अपेक्षित लेखा बहियों, अभिलेखों और
दस्तावेजों को नहीं रख	ग है।
1.	
2.	
3.	
दस्तावेज और बिहार	ाल और सेवा कर अधिनियम की धारा 35(5) के अधीन प्रस्तुत किए जाने के लिए अपेक्षित माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 44(2) के अधीन प्रस्तुत किए जाने के लिए अपेक्षित सं0 जीएसटीआर 9ग के साथ संलग्न है।
	हमारी राय में और *मेरी / हमारी सर्वोत्तम जानकारी में और अन्य सुसंगत दस्तावेजों समेत लेखा
	अनुसार और मुझे / हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार निम्नलिखित प्रेक्षणों / अर्हताओं यदि कोई
हों, के अध्यधीन उक्त	प्ररूप संठ जीएसटीआर 9ग में दी गई विशिष्टियाँ सत्य और सही है :
(ক)	
(অ)	
(ग)	
** (सम्प	गरीक्षक के हस्ताक्षर और मुहर∕सील)
स्थान :	
हस्ताक्षरी	का नाम

[(सं०सं०बिक्री—कर / जीएसटी / विविध—21 / 2017 (खंड—3) 2653)] बिहार—राज्यपाल के आदेश से, डॉ० प्रतिमा,

राज्य कर आयुक्त-सह-सचिव।

#### 13 सितम्बर 2018

सदस्यता सं0 ...... तारीख : ..... पूरा पता .....

एस० ओ० 240 दिनांक 13 सितम्बर 2018 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जाय।

[(सं०सं०बिक्री—कर/जीएसटी/विविध—21/2017 (खंड—3) 2653)] बिहार—राज्यपाल के आदेश से, डाँ० प्रतिमा, राज्य कर आयुक्त—सह—सचिव।

## The 13<sup>th</sup> September 2018

- S.O. 240 Dated 13<sup>th</sup> September 2018—In exercise of the powers conferred by section 164 of the Bihar Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017), the Governor of Bihar hereby makes the following rules further to amend the Bihar Goods and Services Tax Rules, 2017, namely:-
  - 1. (1) These rules may be called the Bihar Goods and Services Tax (Tenth Amendment) Rules, 2018.
    - (2) They shall come into force with effect from 13<sup>th</sup> September, 2018.
  - 2. In the FORMS to the Bihar Goods and Services Tax Rules, 2017, after **FORM GSTR-9A**, the following shall be inserted, namely:-

#### "FORM GSTR-9C

See rule 80(3)

PART – A - Reconciliation Statement

Pt. I		Basic Details				
1	Financial Year					
2	GSTIN					
3A	Legal Name	< Auto>				
	Trade Name (if					
3B	any)	<auto></auto>				
4	Are you	liable to audit under any Act?	< <ple< th=""><th>ease specify&gt;&gt;</th></ple<>	ease specify>>		
		`		n₹in all tables)		
	Reconciliation of	f turnover declared in audited Annual				
Pt. II		turnover declared in Annual Return		9)		
5		Reconciliation of Gross Turnov				
		ng exports) as per audited financial state				
A		(For multi-GSTIN units under same PA) derived from the audited Annual Finance				
	turnover snam of	Statement)	Ciai			
В	Unbilled revenu	e at the beginning of Financial Year	(+)			
C	Unadjusted advances at the end of the Financial Year (+)					
D		d Supply under Schedule I (+)				
Е	Credit Notes issued after the end of the financial year but					
L	reflected in the annual return					
F	Trade Discounts accounted for in the audited Annual					
		ent but are not permissible under GST	(+)			
G		from April 2017 to June 2017	(-)			
Н	Unbilled revenue at the end of Financial Year (-)					
I	Unadjusted Advances at the beginning of the Financial Year  (-)					
	Credit notes accounted for in the audited Annual Financial					
J		out are not permissible under GST (-)				
K		count of supply of goods by SEZ units				
K		to DTA Units (-)				
L	Turnover for th	e period under composition scheme	(-)			

M	Adjustment		er under s ereunder	ection 15 and	d rules	(+/-)		
N	Adjustments in turnover due to foreign exchange fluctuations (+/-)							
О	Adjustments			sons not liste	ed above	(+/-)		
P				justments as		(17-)	< <b>Δ</b>	uto>
Q				nual Return (			\(\frac{1}{2}\)	uto>
R	Turno			nover (Q - P)	`		A	T1
6	Rease			iled differen		al Gro		
A	Reason				< <text< th=""><th></th><th></th><th>-</th></text<>			-
В	Reason	2			< <text< th=""><th>t&gt;&gt;</th><th></th><th></th></text<>	t>>		
С	Reason	3			< <tex< th=""><th>t&gt;&gt;</th><th></th><th></th></tex<>	t>>		
7		]	Reconcilia	ation of Tax	able Turno	ver		
A	Annual	turnover af	ter adjusti	ments (from	5P above)		<auto></auto>	
	Value of Exe	mpted, Nil	Rated, No	on-GST supp	lies, No-Suj	pply		
В			turnove					
C				out payment				
D	Supplies on v	vhich tax is	to be paid charge ba		oient on rev	erse		
Е	Taxable t	urnover as		ments above	(A-B-C-D)		<auto></auto>	
F			<u> </u>	declared in A	, ,			
Г			(GSTR	9)				
G	1	Unreconcil	ed taxable	turnover (F-	E)		A	T 2
8			Un - Rec	onciled diffe			urnover	
A	Reason				< <tex< th=""><th></th><th></th><th></th></tex<>			
В	Reason				< <tex< th=""><th></th><th></th><th></th></tex<>			
С	Reason	3			< <tex< th=""><th>t&gt;&gt;</th><th></th><th></th></tex<>	t>>		
Pt. III	D			onciliationof		4 1	h] - 4]	
9	Rec	onciliation	of rate w	ise liability a				1
				Central	State tax	x payal		Cess, if
	Description	Taxable	Value	tax	/ UT tax	Integ	rated Tax	applicable
	1	2		3	4		5	6
A	5%							
В	5% (RC)							
C	12%							
D	12% (RC)							
Е	18%							
F	18% (RC)							
G	28%							
Н	28% (RC)							
I	3%							
J	0.25%							
K	0.10%							
L	Interest							

M	Late Fee							
N	Penalty							
O	Others							
P	Total amount	_	d as per					
•		es above		<auto></auto>	<auto></auto>	<aut< th=""><th>to&gt;</th><th><auto></auto></th></aut<>	to>	<auto></auto>
Q	Total amount p							
	Annual Re			<u> </u>			DT 1	
R	Un-		d payment			P	PT 1	
10	D		ons for un	-reconciled	payment of < <text< th=""><th></th><th></th><th></th></text<>			
A	Reason							
В	Reason				< <text< th=""><th></th><th></th><th></th></text<>			
С	Reason		l-1 - l4	-4: 1 (1	< <text< th=""><th></th><th> 3</th><th>T-1-1 ( 0</th></text<>		3	T-1-1 ( 0
11	Additional am	iount pay	able but n	ot paid (due and 10 abo		s specifiea	unaer	1 ables 6,8
				and 10 abo		aid theana	h Cook	
			Taxable	Central	State ta	paid throug	grated	Cess, if
	Description	on	Value	tax	UT ta		ax	applicable
		)II				<u> </u>		
	1		2	3	4		5	6
	5%							
	12%							
	18%							
	28%							
	3%							
	0.25%							
	0.10%							
	Interest							
	Late Fee	;						
	Penalty							
	Others (please s	specify)						
Pt. IV		Re	econciliatio	on of Input	Гах Credit	(ITC)		
12		Rec	onciliation	of Net Inpu	t Tax Cred	lit (ITC)		
A	ITC availed as							
	UT (For multi-				is should b	e derived		
	TEC 1 1 1			f accounts)				
В	ITC booked i				in current			
С	Financial Year (+)  ITC booked in current Financial Year to be claimed in							
	subsequent Financial Years (-)							
D	•						<auto></auto>	
E	ITC claimed in Annual Return (GSTR9)							
F						ITC 1		
13					difference	e in ITC		
A	Reason	Reasons for un-reconciled difference in ITC  Reason 1 < <text>&gt;</text>						
В	Reason				< <tex< th=""><th></th><th></th><th></th></tex<>			
	Reason 2							

С	Reason 3		< <text>&gt;</text>			
14	Reconciliation of ITC declared in Annual Return (GSTR9) with ITC availed on					
14	expenses as per audi	ited Annual Financia	l Statementor boo	oks of account		
	Description	Value	Amount of Total ITC	Amount of eligible ITC availed		
	1	2	3	4		
A	Purchases					
В	Freight / Carriage					
C	Power and Fuel					
D	Imported goods (Including	ng				
Б	received from SEZs)					
Е	Rent and Insurance	uad				
F	Goods lost, stolen, destroy written off or disposed of by					
1	of gift or free samples	•				
G	Royalties					
Н	Employees' Cost (Salarie	es,				
	wages, Bonus etc.)					
I	Conveyance charges					
J	Bank Charges					
K	Entertainment charges					
L	Stationery Expenses (inclu postage etc.)	ding				
M	Repair and Maintenanc	e				
N	Other Miscellaneous exper					
0	Capital goods					
P	Any other expense 1					
Q	Any other expense 2					
R	Total amoun	nt of eligible ITC avail	ed	< <auto>&gt;</auto>		
S	ITC claimed in	n Annual Return (GST	TR9)			
Т	Un-	-reconciled ITC		ITC 2		
15	Reasor	ns for un - reconciled				
A	Reason 1		< <text>&gt;</text>			
В	Reason 2		< <text>&gt;</text>			
С	Reason 3 < <text>&gt;</text>					
16	Tax payable on un-recond	ciled difference in IT 15 above)	•	specified in 13 and		
	Description	Amo	unt Payable			
	Central Tax					
	State/UT Tax					
	IntegratedTax					
	Cess					
	Interest					
	Penalty					

Pt. V	Auditor's recon	nmendation on add	litional Li	ability due to	o non-reconci	iliation
				To be paid	through Cash	
			Central	State tax /	Integrated	Cess, if
	Description	Value	tax	UT tax	tax	applicable
	1	2	3	4	5	6
	5%					
	12%					
	18%					
	28%					
	3%					
	0.25%					
	0.10%					
	Input Tax Credit					
	Interest					
	Late Fee					
	Penalty					
	Any other amount paid for supplies					
	not included in					
	Annual Return					
	(GSTR 9)					
	Erroneous refund to be paid back					
	Outstanding demands to be					
	settled					
	Other (Pl. specify)					

#### Verification:

I hereby solemnly affirm and declare that the information given herein above is true and correct to the best of my knowledge and belief and nothing has been concealed there from.

Place:
Name of the signatory
Membership No
Date:
Full address

\*\*(Signature and stamp/Seal of the Auditor)

#### **Instructions:** –

- 1. Terms used:
  - (a) GSTIN:Goods and Services Tax Identification Number
- 2. The details for the period between July 2017 to March 2018 are to be provided in this statement for the financial year 2017-18. The reconciliation statement is to be filed for every GSTIN separately.
- 3. The reference to current financial year in this statement is the financial year for which the reconciliation statement is being filed for.
- 4. Part II consists of reconciliation of the annual turnover declared in the audited Annual Financial Statement with the turnover as declared in the Annual Return furnished in FORM GSTR-9 for this GSTIN. The instructions to fill this part are as follows:-

Table No.	Instructions
5A	The turnover as per the audited Annual Financial Statementshall be declared here. There may be cases where multiple GSTINs (State-wise) registrations exist on the same PAN. This is common for persons / entities with presence over multiple States. Such persons / entities, will have to internally derive their GSTIN wise turnover and declare the same here. This shall include export turnover (if any). It may be noted that reference to audited Annual Financial Statementincludes reference to books of accounts in case of persons / entities having presence over multiple States.
5B	Unbilled revenue which was recorded in the books of accounts on the basis of accrual system of accounting in the last financial year and was carried forward to the current financial year shall be declared here. In other words, when GST is payable during the financial year on such revenue (which was recognized earlier), the value of such revenue shall be declared here.  (For example, if rupees Ten Crores of unbilled revenue existed for the financial year 2016-17, and during the current financial year, GST was paid on rupees Four Crores of such revenue, then value of rupees Four Crores rupees shall be declared here)
5C	Value of all advances for which GST has been paid but the same has not been recognized as revenue in the audited Annual Financial Statement shall be declared here.
5D	Aggregate value of deemed supplies under Schedule I of the BGST Act, 2017 shall be declared here. Any deemed supply which is already part of the turnover in the audited Annual Financial Statement is not required to be included here.
5E	Aggregate value of credit notes which were issued after 31 <sup>st</sup> of March for any supply accounted in the current financial year but such credit notes were reflected in the annual return (GSTR-9)shall be declared here.
5F	Trade discounts which are accounted for in the audited Annual Financial Statementbut on which GST was leviable (being not permissible) shall be declared here.
5G	Turnover included in the audited Annual Financial Statement for April 2017 to June 2017 shall be declared here.

Table No.	Instructions
5H	Unbilled revenue which was recorded in the books of accounts on the basis of
	accrual system of accounting during the current financial year but GST was
	not payable on such revenue in the same financial year shall be declared here.
5I	Value of all advances for which GST has not been paid but the same has been
	recognized as revenue in the audited Annual Financial Statement shall be
51	declared here.
5J	Aggregate value of credit notes which have been accounted for in the audited Annual Financial Statement but were not admissible under Section 34 of the
	BGST Act shall be declared here.
5K	Aggregate value of all goods supplied by SEZs to DTA units for which the
	DTA units have filed bill of entry shall be declared here.
5L	There may be cases where registered persons might have opted out of the
	composition scheme during the current financial year. Their turnover as per
	the audited Annual Financial Statement would include turnover both as
	composition taxpayer as well as normal taxpayer. Therefore, the turnover for
	which GST was paid under the composition scheme shall be declared here.
5M	There may be cases where the taxable value and the invoice value differ due to
	valuation principles under section 15 of the BGST Act, 2017 and rules
	thereunder. Therefore, any difference between the turnover reported in the Annual Return (GSTR 9) and turnover reported in the audited Annual
	Financial Statement due to difference in valuation of supplies shall be declared
	here.
5N	Any difference between the turnover reported in the Annual Return (GSTR9)
	and turnover reported in the audited Annual Financial Statement due to
	foreign exchange fluctuations shall be declared here.
5O	Any difference between the turnover reported in the Annual Return (GSTR9)
	and turnover reported in the audited Annual Financial Statement due to
50	reasons not listed above shall be declared here.
5Q	Annual turnover as declared in the Annual Return (GSTR 9) shall be declared here. This turnover may be derived from Sr. No. 5N, 10 and 11 of Annual
	Return (GSTR 9).
6	Reasons for non-reconciliation between the annual turnover declared in the
	audited Annual Financial Statement and turnover as declared in the Annual
	Return (GSTR 9) shall be specified here.
7	The table provides for reconciliation of taxable turnover from the audited
	annual turnover after adjustments with the taxable turnover declared in annual
7.4	return (GSTR-9).
7A	Annual turnover as derived in Table 5P above would be auto-populated here.
7B	Value of exempted, nil rated, non-GST and no-supply turnover shall be declared here. This shall be reported net of credit notes, debit notes and
	amendments if any.
7C	Value of zero rated supplies (including supplies to SEZs) on which tax is not
	paid shall be declared here. This shall be reported net of credit notes, debit
	notes and amendments if any.
7D	Value of reverse charge supplies on which tax is to be paid by the recipient
	shall be declared here. This shall be reported net of credit notes, debit notes
	and amendments if any.

Table No.	Instructions
7E	The taxable turnover is derived as the difference between the annual turnover
	after adjustments declared in Table 7A above and the sum of all supplies
	(exempted, non-GST, reverse charge etc.) declared in Table 7B, 7C and 7D
	above.
7F	Taxable turnover as declared in Table 4N of the Annual Return (GSTR9) shall
	be declared here.
8	Reasons for non-reconciliation between adjusted annual taxable turnover as
	derived from Table 7E above and the taxable turnover declared in Table 7F
	shall be specified here.

5. Part III consists of reconciliation of the tax payable as per declaration in the reconciliation statement and the actual tax paid as declared in Annual Return (GSTR9). The instructions to fill this part are as follows:-

Table No.	Instructions
9	The table provides for reconciliation of tax paid as per reconciliation statement
	and amount of tax paid as declared in Annual Return (GSTR 9). Under the
	head labelled "RC", supplies where tax was paid on reverse charge basis by
	the recipient (i.e. the person for whom reconciliation statement has been
	prepared ) shall be declared.
9P	The total amount to be paid as per liability declared in Table 9A to 9O is auto
	populated here.
9Q	The amount payable as declared in Table 9 of the Annual Return (GSTR9)
	shall be declared here. It should also contain any differential tax paid on Table
	10 or 11 of the Annual Return (GSTR9).
10	Reasons for non-reconciliation between payable / liability declared in Table
	9P above and the amount payable in Table 9Q shall be specified here.
11	Any amount which is payable due to reasons specified under Table 6, 8 and 10
	above shall be declared here.

6. Part IV consists of reconciliation of Input Tax Credit (ITC). The instructions to fill Part IV are as under:-

Table No.	Instructions
12A	ITC availed (after reversals) as per the audited Annual Financial Statement shall be declared here. There may be cases where multiple GSTINs (Statewise) registrations exist on the same PAN. This is common for persons / entities with presence over multiple States. Such persons / entities, will have to internally derive their ITC for each individual GSTIN and declare the same here. It may be noted that reference to audited Annual Financial Statement includes reference to books of accounts in case of persons / entities having presence over multiple States.
12B	Any ITC which was booked in the audited Annual Financial Statement of earlier financial year(s) but availed in the ITC ledger in the financial year for which the reconciliation statement is being filed for shall be declared here. This shall include transitional credit which was booked in earlier years but availed during Financial Year 2017-18.

Table No.	Instructions
12C	Any ITC which has been booked in the audited Annual Financial Statement of the current financial year but the same has not been credited to the ITC ledger for the said financial year shall be declared here.
12D	ITC availed as per audited Annual Financial Statement or books of accounts as derived from values declared in Table 12A, 12B and 12C above will be auto-populated here.
12E	Net ITC available for utilization as declared in Table 7J of Annual Return (GSTR9) shall be declared here.
13	Reasons for non-reconciliation of ITC as per audited Annual Financial Statement or books of account (Table 12D) and the net ITC (Table12E) availed in the Annual Return (GSTR9) shall be specified here.
14	This table is for reconciliation of ITC declared in the Annual Return (GSTR9) against the expenses booked in the audited Annual Financial Statement or books of account. The various sub-heads specified under this table are general expenses in the audited Annual Financial Statement or books of account on which ITC may or may not be available. Further, this is only an indicative list of heads under which expenses are generally booked. Taxpayers may add or delete any of these heads but all heads of expenses on which GST has been paid / was payable are to be declared here.
14R	Total ITC declared in Table 14A to 14Q above shall be auto populated here.
14S	Net ITC availed as declared in the Annual Return (GSTR9) shall be declared here. Table 7J of the Annual Return (GSTR9) may be used for filing this Table.
15	Reasons for non-reconciliation between ITC availed on the various expenses declared in Table 14R and ITC declared in Table 14S shall be specified here.
16	Any amount which is payable due to reasons specified in Table 13 and 15 above shall be declared here.

- 7. Part V consists of the auditor's recommendation on the additional liability to be discharged by the taxpayer due to non-reconciliation of turnover or non-reconciliation of input tax credit. The auditor shall also recommend if there is any other amount to be paid for supplies not included in the Annual Return. Any refund which has been erroneously taken and shall be paid back to the Government shall also be declared in this table. Lastly, any other outstanding demands which is recommended to be settled by the auditor shall be declared in this Table.
- 8. Towards, the end of the reconciliation statement taxpayers shall be given an option to pay their taxes as recommended by the auditor.

#### **PART – B- CERTIFICATION**

I.		ication in cases where the reconciliation statement (FORM GSTR-9C) is
		have examined the—
	(a)	balance sheet as on
	(b)	the *profit and loss account/income and expenditure account for the period beginning fromto ending on, and
	(c)	the cash flow statement for the period beginning from to ending on, —attached herewith, of $M/s$ (Name),
2.	Base	ed on our audit I/we report that the said registered person—
		maintained the books of accounts, records and documents as required by the Γ/CGST/BGST Act, 2017 and the rules/notifications made/issued thereunder
		not maintained the following accounts/records/documents as required by the Γ/CGST/BGST Act, 2017 and the rules/notifications made/issued thereunder:
	1.	
	2.	
	3.	
3.	(a) *I/v if a	we report the following observations/comments/discrepancies / inconsistencies; ny:
3.	(b) *I/v	we further report that, -
	(A)	*I/we have obtained all the information and explanations which, to the best of *my/our knowledge and belief, were necessary for the purpose of the audit/ information and explanations which, to the best of *my/our knowledge and belief, were necessary for the purpose of the audit were not provided/partially provided to us.
	(B)	In *my/our opinion, proper books of account *have/have not been kept by the registered person so far as appears from*my/ our examination of the books.
	(C)	I/we certify that the balance sheet, the *profit and loss/income and expenditure account and the cash flow Statement are *in agreement/not in agreement with the books of account maintained at the Principal place of business at

4.	The documents required to be furnished under section 35 (5) of the BGST Act and Reconciliation Statement required to be furnished under section 44(2) of the BGST Act is annexed herewith in Form No. GSTR-9C.
5.	In *my/our opinion and to the best of *my/our information and according to explanations given to *me/us, the particulars given in the said Form No. GSTR-9C are true and correct subject to following observations/qualifications, if any:
	(a)
	(b)
	(c)
	**(Signature and stamp/Seal of the Auditor)
	Place:
	Name of the signatory
	Membership No
	Date:
	Full address
	fication in cases where the reconciliation statement (FORM GSTR-9C) is p by a person other than the person who had conducted the audit of the
M/s conducted of auditor the dated	/we report that the audit of the books of accounts and the financial statements of
(a) (b) (c) (d) 2.	the *profit and loss account/income and expenditure account for the period beginning fromto ending on, the cash flow statement for the period beginning fromto ending on, and

\*has maintained the books of accounts, records and documents as required by the IGST/CGST/BGST Act, 2017 and the rules/notifications made/issued thereunder

*has not	maintained	the following	accounts/records/d	documents a	as required	by the
IGST/CGST/BG	ST Act, 2017	7 and the rules	/notifications made	e/issued ther	reunder:	

1	
I	•

2.

3.

- 3. The documents required to be furnished under section 35 (5) of the BGST Act and Reconciliation Statement required to be furnished under section 44(2) of the BGST Act is annexed herewith in Form No.GSTR-9C.
- 4. In \*my/our opinion and to the best of \*my/our information and according to examination of books of account including other relevant documents and explanations given to \*me/us, the particulars given in the said Form No.9C are true and correct subject to the following observations/qualifications, if any:

(a)
(b)
(c)
**(Signature and stamp/Seal of the Auditor)
Place:
Name of the signatory
Membership No
Date:
Full address".

[(File No. Bikri kar/GST/vividh-21/2017(Part-3) 2653)]
By order of the Governor of Bihar,
Dr. Pratima,
Commissioner State Tax-cum-Secretary.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय, बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 849-571+10-डी0टी0पी0।

Website: <a href="http://egazette.bih.nic.in">http://egazette.bih.nic.in</a>